

परियोजना का नाम :- चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 15 नवम्बर 2019 को चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री देवी प्रसाद बलूनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, राजस्व विभाग की ओर से श्रीमती मंजू राजपूत, तहसीलदार नरेन्द्रनगर, खनन विभाग की ओर से डा० डी०एस०चन्द, उप निदेशक/भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, टिहरी गढवाल, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री शेर सिंह, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून एवं श्री टी०आर० उनियाल, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नई टिहरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में उपखनिज (रेता, बजरी एवं आर०बी०एम०) मिलीजुली अवस्था में विद्यमान है। जिसका वर्तमान में चुगान/खनन कार्य भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना है। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है। आरक्षित वन भूमि 190 है०, सिविल भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० एवं नाप भूमि 0.00 है० प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित क्षेत्र की राजाजी टाईगर रिजर्व से निकटतम हवाई दूरी 2.99 कि०मी० है।

चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/सरेख्या को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान कार्य जनहित में किया जाना है। व इस परियोजना के निर्माण में ढालवाला, गुजराड़ा, तलाई, डोर एवं ओड़ी गांव की 10,000 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

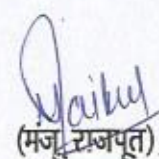
चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। उपरोक्त 190 है० में उपखनिज चुगान की अनुमति भारत सरकार द्वारा दिये जाने की दशा में नियमानुसार चुगान कार्य किया जाने पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से क्षेत्र में विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। चुगान कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा -2 एवं EIA Act 2006 के प्राविधानों के अनुरूप भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने की संस्तुति की जाती है। चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज आरक्षित वन क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का जी०पी०एस० मान

$30^{\circ} 10' 27.73''N$, $30^{\circ} 10' 26.94''N$ एवं अन्तिम स्थल का जी०पी०एस० मान $30^{\circ} 7' 17.23''N$,
 $78^{\circ} 16' 25.71'' E$ $78^{\circ} 16' 27.88'' E$ $78^{\circ} 16' 23.95'' E$

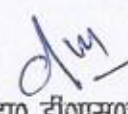
$30^{\circ} 7' 21.82''N$ है।
 $78^{\circ} 16' 27.71'' E$

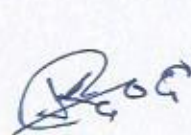

(श्री सिंह)
प्र० लौ० प्रबन्धक (खनन)
उ० वन विकास निगम
देहरादून


(टी०आर० उनियाल)
प्र० लौ० प्रबन्धक
उ० वन विकास निगम
नई टिहरी


(मंजू राजपूत),
तहसीलदार
नरेन्द्रनगर


(देवी प्रसाद बलूनी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर


(डा० डी०एस०चन्द)
उप निदेशक/भू वैज्ञानिक,
भू० एवं खनिकर्म इकाई,
टिहरी गढवाल


वन अधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग